

**बिहार सरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**

**स्पीड पोस्ट**

प्रेषक,

अवनीश कुमार सिंह,  
भा०प्र०स०  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
मुंगेर, अररिया, मुजफ्फरपुर, कैमूर, सारण एवं मधुबनी।

**विषय:-**

बजट मुख्य शीर्ष 2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएँ— 00—115—अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि—0003—सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0—33, (विपत्र कोड—33-2070001150003) के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018—19 में व्यय के लिये कुल ₹ 53,00,000/- (तिरेपन लाख रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएँ— 00—115—अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि—0003—सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0—33, (विपत्र कोड—33-2070001150003) के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018—19 में व्यय के लिये कुल ₹ 53,00,000/- (तिरेपन लाख रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है:-

क्रम संख्या	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	जिला का नाम						कुल
			मुंगेर	अररिया	मुजफ्फरपुर	कैमूर	सारण	मधुबनी	
1	21 01	सामग्री एवं पूस्तियाँ	10,00,000	1,00,000	10,00,000	2,00,000	5,00,000	25,00,000	53,00,000

(तिरेपन लाख रूपये) मात्र।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 6903 दिनांक 13.09.2018 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या—2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय—समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवीं तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

क०प०३०

10. इसकी सूचना महालेखाकार (लो० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
11. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
12. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासमाजन

१८/३)१९  
(अवनीश कुमार सिंह)  
सरकार के उप सचिव

संख्या-5 / बजट 1-05/2018 साठ-

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

अवनीश कुमार सिंह,  
भा०प्र०स०  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
मुंगेर, अररिया, मुजफ्फरपुर, कैमूर, सारण एवं मधुबनी।

विषय:-

बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ- 00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-33-2070001150003) के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹ 53,00,000/- (तिरेपन लाख रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ- 00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-33-2070001150003) के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹ 53,00,000/- (तिरेपन लाख रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है:-

क्रम संख्या	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	जिला का नाम					कुल
			मुंगेर	अररिया	मुजफ्फरपुर	कैमूर	सारण	
1	21 01	सामग्री एवं पूर्तियाँ	10,00,000	1,00,000	10,00,000	2,00,000	5,00,000	25,00,000 <b>53,00,000</b>

(तिरेपन लाख रूपये) मात्र।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 6903 दिनांक 13.09.2018 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जायेताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवीं तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

कृ०प०३०

10. इसकी सूचना महालेखाकार (लो ० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
11. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
12. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अवनीश कुमार सिंह)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-५/बजट १-०५/२०१८ सा०— ६५ /

पटना, दिनांक— २७.३. २०१९

प्रतिलिपि :— महालेखाकार बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर, अररिया, मुजफ्फरपुर, कैमूर, सारण  
एवं मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१२६/३/१९  
सरकार के उप सचिव